

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, सिरौही

—:: सकारण आदेश ::—

शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड-III भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों का कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-1/12102/शा.शि.ग्रेड-III/सी.भ.-2018/एन.जे./2021 दिनांक 11.06.2021 द्वारा रिशफल जिला आवंटन कर इस जिले का पदस्थापन हेतु सुपुर्द किये जाने के फलस्वरूप इस कार्यालय के आदेशांक जिशिअ/मा/सि/स्थापन-2/2021/187 दिनांक 19.06.2021 द्वारा काउंसलिंग के माध्यम से याचिकार्थी श्री प्रहलाद बैरागी, शा.प्र.अनु.ग्रेड-III, राउप्रावि पुनियाना, देवगढ जिला राजसमन्द को प्रस्तुत विकल्प के आधार पर इच्छित स्थान रामावि रामपुरा, जिला सिरौही में पदस्थापित किया गया।

शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड-III सीधी भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित अभ्यर्थियों के रिशफल जिला आवंटन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओं में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर द्वारा जारी पत्र दिनांक 12.10.2021 के क्रम में याचिकार्थी श्री प्रहलाद बैरागी से प्राप्त अभ्यावेदन में याचिकार्थी द्वारा नवीन आवंटित जिले सिरौही में कार्यालय हाजा द्वारा प्रदर्शित रिक्त पदों में से पदस्थापन न चाहकर गृह जिला भीलवाडा आवंटित कर पदस्थापित करने की मांग की गई है।

याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य तथा विभागीय नियमों, अभिलेखीय, नीतिगत स्थिति के संबंध में गहन अवलोकन व परीक्षण किया गया। राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 1971 के अनुसार शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड-III का पद जिला स्तर का पद है, जिसका सक्षम नियुक्ति अधिकारी संबंधित जिले का जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) है। रोस्टर का संधारण संबंधित नियुक्ति अधिकारी द्वारा ही किया जाता है। शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड-III के पद जिले में उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर वर्गवार एवं जिलेवार ही विज्ञापित किये जाते हैं एवं किसी जिले में विज्ञापित पदों की संख्या तक ही चयनित अभ्यर्थियों को जिलेवार व वर्गवार ही नियुक्ति प्रदान की जाती है। उक्तानुसार किसी भी अभ्यर्थी को नवीन आवंटित जिले के अतिरिक्त अन्य जिले में नियमानुसार नियुक्ति प्रदान नहीं की जा सकती है।

अतः याचिकार्थी द्वारा नवीन आवंटित जिले सिरौही में कार्यालय हाजा द्वारा प्रदर्शित रिक्त पदों में से पदस्थापन नहीं चाहकर अन्य जिला आवंटित कर पदस्थापित करने की मांग उपर्युक्त वस्तुस्थिति एवं विभागीय नियमों के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं पाई गई। मांग उचित नहीं पाये जाने के कारण इस मांग को अस्वीकृत किया जाकर याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है एवं याचिकार्थी को कार्यालय हाजा के आदेश क्रमांक जिशिअ/मा/सि/स्थापन-2/2021/187 दिनांक 19.06.2021 द्वारा पूर्व में पदस्थापित स्थान रामावि रामपुरा जिला सिरौही पर यथावत रखा जाता है। सभी संबंधित सूचित हो।

गंगा कलावन्त

(गंगा कलावन्त)

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)

माध्यमिक शिक्षा, सिरौही

दिनांक:-11.11.2021

क्रमांक:-जिशिअ/मु/मा.शि./सिरौही/स्थापन-2/शा.शि.ग्रेड-III-2018 रिशफल/2021/459

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, पाली
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, सिरौही
4. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) विधि, जोधपुर
5. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रा.शि.सिरौही
6. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....
7. सम्बन्धित संस्था प्रधान
8. प्रभारी विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा
9. संबंधित याचिकार्थी
10. रक्षित पत्रावली

गंगा कलावन्त

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)

माध्यमिक शिक्षा, सिरौही